

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती बस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
क्र. सं.	खता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	एकवा (है.)	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	एकवा (है.)
30		कामलेश्वरी पति बोपारम शांति शर्मा को. 55, 2-मौलासर (2) 276 ए.ए.ए.	272, 270 274, 276	678	कामलेश्वरी पति बोपारम शांति शर्मा को. 55, 2-मौलासर (2) 276 ए.ए.ए.	272, 270 274	678

363
20/10/21

शिवहर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.ड.वा.ना)
POKSA-2021, प.स. मौलासर
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर

शिवहर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.ड.वा.ना)
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.ड.वा.ना)
POKSA-2021, प.स. मौलासर
दिनांक :-

दिनांक :-
प्रतिवेदि नलकाथ :-

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो ता निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर